राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2104/2024

विनोद कुमार शर्मा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
2. मुख्य अभियंता (प्रशासन), जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान, जल भवन, 2 सिविल लाईन्स, जेकब रोड़, जयपुर।
3. अधिशाषी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, डिवीजन गंगापुरसिटी।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 26.06.2024
आदेश की दिनांक : 01.07.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री आर.डी.मीणा, अभिभाषक

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर कार्यालय खंड गंगापुर सिटी में कार्यरत है। उनका कथन है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण आदेश दिनांक 22.02.2024 के द्वारा खंड गंगापुर सिटी से उपखंड सपोटरा किया गया है, जिसको अपीलार्थी द्वारा अधिकरण के समक्ष चुनौती देते हुये अपील संख्या 767/2024 प्रस्तुत की गई और अधिकरण द्वारा दिनांक 12.03.2024 को आदेश पारित करते हुये यह निर्देश दिये कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग को अभ्यावेदन प्रस्तुत करे और प्रत्यर्थी विभाग दो सप्ताह में अभ्यावेदन का निस्तारण करे, जिसकी सूचना अपीलार्थी को देवें तथा साथ ही निस्तारण होने तक स्थानान्तरण आदेश दिनांक 22.02.2024 व कार्यमुक्त आदेश दिनांक 24.02.2024 का क्रियान्वयन स्थगित किया जाता है, जिसकी पालना में

प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को कार्यग्रहण करवाया गया तथा अपीलार्थी ने अभ्यावेदन प्रस्तुत किया और प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी के अभ्यावेदन को दिनांक 14.06.2024 के द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। अपीलार्थी 40 प्रतिशत से अधिक विकलांग है जो अनुलग्नक–4 से प्रकट होता है। अपीलार्थी दोनों पैरों से विकलांग है, जो चलने–फिरने से विवश है। परंतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी के अभ्यावेदन में आधारों पर गंभीरता से विचार न करते हुये उसके अभ्यावेदन को खारिज कर दिया गया। उनका कथन है कि पत्र दिनांक 17.05.2024 से स्पष्ट है कि सहायक प्रशासनिक अधिकारी का पद रिक्त है, परंतु प्रत्यर्थी विभाग ने अपीलार्थी का 41 कि.मी. दूर स्थानान्तरण किया है, जो विधि एवं नियमों के विपरीत है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 14.06.2024 एवं स्थानान्तरण आदेश दिनांक 22.02.2024 तथा कार्यमुक्त आदेश दिनांक 24.02.2024 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे तथा अपीलार्थी को खंड गंगापुर सिटी में निरंतर पदस्थापित रहने के आदेश फरमाये जावें।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी वर्तमान में सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर कार्यालय खंड गंगापुर सिटी में कार्यरत है। अनुलग्नक ए–7 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा अधिकरण के समक्ष आदेश दिनांक 22.02.2024 एवं 24.02.2024 को चुनौती देते हुये अपील संख्या 767/2024 प्रस्तुत की गई और अधिकरण द्वारा दिनांक 12.03.2024 को आदेश पारित किया, जिसकी पालना में अपीलार्थी ने अभ्यावेदन प्रस्तुत किया और अभ्यावेदन निस्तारण होने तक स्थानान्तरण आदेश दिनांक 22.02.2024 व कार्यमुक्त आदेश दिनांक 24.02.2024 का क्रियान्वयन अधिकरण द्वारा स्थगित किया गया। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी के अभ्यावेदन को दिनांक 14.06.2024 के द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। अनुलग्नक–4 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी 40 प्रतिशत से अधिक विकलांग है। अपीलार्थी दोनों पैरों से विकलांग है, जो सही तरह से चल–फिर नहीं सकता। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी के अभ्यावेदन पर गंभीरता से विचार नहीं करते हुये खारिज किये

जाने का प्रश्न है, हम मामले की वर्तमान परिस्थिति को देखते हुये यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन पर गंभीरता से विचार नहीं करते हुये आदेश दिनांक 14.06.2024 के द्वारा उसके अभ्यावेदन को खारिज किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जाते हैं कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन पर पुनः गंभीरता से विचार करते हुये एवं उसकी विकलांगता को ध्यान में रखते हुये उसके अभ्यावेदन का निस्तारण करें और प्रत्यर्थी विभाग जिले के भीतर अपीलार्थी का पदस्थापन करने हेतु स्वतंत्र है।

अतः उक्त निर्देशों के साथ अपील अंतिम रूप से मय स्थगन प्रार्थना पत्र के निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य